



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102020-222744
CG-DL-E-26102020-222744

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3381]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 26, 2020/कार्तिक 4, 1942

No. 3381]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/KARTIKA 4, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3812(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), [एनएससीएन(के)] को विधिविरुद्ध संघ घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री कल्याण राय सुराणा की अध्यक्षता में “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

[फा.सं.11011/05/2020-एनई.V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3812(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri Justice Kalyan Rai Surana, Judge of the Gauhati High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN(K)] as Unlawful Association

[F. No.11011/05/2020-NE.V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.